(b) whether it is also a fact that the lack of credit, inadequate export marketing information and outmoded technology are some of the factors which inhibit full exploitation of this sector; and

(c) if so, what steps Government have taken or propose to take to remove those inhibitions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Availability of adequate credit, export marketing information and updated technology helps in boosting up exports. To overcome the limitation of credit, the Govt. have taken various steps for greater availability of export credit from the Banking Sector. In regard to general credit requirements, the recommendations by the Nayak Committee are being implemented. For market information, the Govt. have commissioned the services of Technology Information Promotion System an organisation sponsored by UNDP for providing valuable export Marketing Information to SSI Exporters. Liberal import of technology has been allowed in the Export-Import Policy and under the new liberalised economic Policy of the Government.

कुटीर और लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुएं

423. **श्री. विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादन किए जाने के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या-क्या हैं;

(ख) लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या-क्या हैं;

(ग) उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जो उपयुक्त उद्योगों द्वारा उत्पादन किए जाने के लिए आरक्षित हैं परन्तु जिनका उत्पादन बड़े उद्योगों द्वारा किया जा रहा है;

(घ) उन अतिरिक्त वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनका उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जा रहा है; और

(ङ) कुटीर और लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन से बड़े उद्योगों को बाहर रखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) केवल कुटीर उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित मदों की कोई अलग सूची नहीं है। किन्तु, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ऐसे 96 उद्योगों का पता लगाया गया है जिन्हें खादी और ग्रामोद्योग से वित्तीय सहायता मिलेगी।

(ख) इस समय 836 मदें केवल लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित हैं। इन मदों के नाम राजपत्रित अधिसूचना सं० का० आ० 477(अ) दिनांक 25-7-91 की अनुसूची -3 में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) बहुराष्ट्रीय उपक्रमों सहित मझोले/बड़े उपक्रम 75% निर्यात दायित्व के साथ आरक्षित मदों का उत्पादन कर सकते हैं (निर्यातोन्मुख रेडीमेड गारमेंट एककों के मामले में 3 करोड़ रु० की निवेश सीमा के साथ यह 50% है) यदि ये उपक्रम आरक्षण की तारीख से पहले आरक्षित मदों का उत्पादन कर रहे थे तो वे सरकार से व्यापार जारी रखने का लाइसेंस लेकर ऐसा करते रह सकते हैं। इसी प्रकार वे लघु एकक जो मझोले/बड़े उपक्रम बन गए है, व्यापार जारी रखने का लाइसेंस लेकर ऐसी मदों का उत्पादन करना जारी रख सकते हैं। कुछ ज्ञात आरक्षित मदों, जिनका उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित मझोले/बड़े एकक कर रहे हैं, उनमें बिस्कुट, डबल रोटी, चमड़ा फुटवीयर, सेनिटरी नेपकिन, टूथपेस्ट, दूध पाउडर, इत्यादि शामिल हैं। आरक्षण की नीति के उपबन्ध के उल्लंघन की जांच उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन गठित आरक्षण संबंधी सलाहाकार समिति द्वारा की जाती है।

75% निर्यात दायित्व और अन्य घरेलू तथा विदेशी दोनों औद्योगिक उपक्रमों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में 24% से ज्यादा इक्विटी भागीदारी की अनुमति न देने संबंधी उपबंधों का उद्देश्य लघु क्षेत्र के हितों की रक्षा करना है ।

Attracting foreign investment

424. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the total NRI investment and Direct Foreign Investment already made and projected to be made in the country so far, in different States, particularly Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh and Bihar;

(b) which State has attracted the highest NRI and other Foreign investment and which one has the highest potential for attracting such investment; and

(c) what steps have been taken by different State Governments to provide infrastructural facilities and incentives for attracting such investments, especially by these States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b) Since the announcement of New Industrial Policy and upto June, 1994, approvals to proposals envisaging foreign direct investment, including NRI investment, of Rs. 15,615.82 crores have been accorded for setting up of projtcts in various States. Available Location-wise details of approvals between April, 1993 to March, 1994 are attached as statement (*See* belwo). Information prior to 1993 was not centrally maintained.

Future approvals will depend on the proposals received.

(c) Infrastrural facilities and incentives to attract foreign/NRI invtstment, are provided by State Governments. Such details are not centrally maintained.

Statement

Statewise report for foreign Direct investment cases approved for the period April, 1993 to March, 1994

State	April, 1993—March, 1994	
	Number	Investment (Rs. in crores)
1	2	3
Maharashtra	109	1513.87
Delhi	89	955.80
Others	61	944.71
Orissa	11	779.59
Madhya Pradesh	17	582.87
Tamil Nadu	78	558.78